न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 40/अपील/2025 (GCMS No. 2025/99)	30.07.2025	03.11.2025

1. सुखपाल आ. भागोता जाति मीणा,
   नि. ग्राम महुआ, पंचायत गेण्डोली तहसील रायथल जिला बून्दी
2. साबूलाल आ. सुखपाल जाति मीणा,
   नि. ग्राम महुआ, पंचायत गेण्डोली तहसील रायथल जिला बून्दी

– अपीलांटस

बनाम

श्री चुन्नीलाल प्रेमी पुत्र श्री पांचूलाल जाति बैरवा,
निवासी विजयनगर, हाल निवास सी–22 सुन्दर सदन,
तलवण्डी कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)

– रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित–
अपीलांटस की ओर से श्री राजकुमार गौत्तम, एडवोकेट।
रेस्पोडेंट की ओर से श्री नवेद केसर लखपति, एडवोकेट।

निर्णय

यह अपील तहसीलदार, रायथल द्वारा प्रकरण सं. 2/2024 बउनवान चुन्नीलाल बनाम सुखपाल वगै. अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट में पारित आदेश दिनांक 23.06.2025 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 इस न्यायालय में पेश की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर क्रमांक 40/2025 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS नं. 2025/99 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली तलब की गयी।

जिला कलेक्टर; बून्दी

तत्पश्चात बहस उभय पक्षकारान् सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि रेस्पोडेंट ने तहसीलदार रायथल के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी राज.काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके खातेदारी व स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा सं. 46 रकबा 2.43 हैक्टेयर वाकेग्राम महुआ पटवार हल्का गुथा, तहसील रायथल में स्थित है। अनुसूचित जाति के प्रार्थी की भूमि पर अनुसूचित जनजाति के अप्रार्थीगण सुखपाल, रामराज, साबूलाल निवासी महुआ ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है जिन्हें बेदखल किया जाकर कब्जा दिलवाया जावे। अप्रार्थी अपीलांट की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उनका वादग्रस्त भूमि पर पुरातन समय से 50 वर्षो से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है, उक्त भूमि को अपीलांट के पिता भागोता ने पड़त से फाड़कर आबाद कर कृषि योग्य बनाया था। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का मकान बना हुआ है तथा अप्रार्थीगण द्वारा एक कुआ खुदवा रखा है तथा सिंचाई के लिए बिजली का कनेक्शन भी लिया हुआ है। जबकि प्रार्थी का विवादित भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है और पूर्व खातेदारान का भी विवादित भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा था। इसके बावजूद प्रकरण में दिनांक 23.06.2025 को आदेश पारित कर उक्त भूमि से प्रार्थी को अनुसूचित जाति का व्यक्ति मानकर अप्रार्थीगण को बेदखल किये जाने एवं कब्जा प्रार्थी को संभलाये जाने का आदेश पारित कर दिया गया, जो विधान एवं प्रकियां के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान आगे तर्क प्रस्तुत किये कि प्रार्थी रेस्पो. चुन्नीलाल का अनुसूचित जाति का सदस्य होना विवादग्रस्त है, विभिन्न न्यायालयों में इस बाबत विवाद लम्बित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को अनुसूचित जाति का सदस्य मानकर भूल की है। प्रार्थी रेस्पो. स्वयं अनुसूचित जन जाति का सदस्य है, इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी लागू नहीं होता है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण आदेश पारित कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में विक्रयपत्र दिनांक 11.08.2014 के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है जिससे प्रमाणित है कि रेस्पोडेंट का उक्त तिथि से पूर्व अपीलधीन कृषि भूमि पर कब्जा नहीं था और भूमि क्रय करने की तिथि को भी पूर्व खातेदारान से रेस्पोडेंट ने कब्जा प्राप्त नहीं किया, क्योंकि उक्त भूमि पर पूर्व खातेदारान का भी कभी कब्जा नहीं रहा था तो वे रेस्पो. को कब्जा किस प्रकार संभला सकते है। रेस्पो. वर्तमान में के0पाटन विधान सभा क्षेत्र के विधायक है जिन्होंने अपने राजनीतिक वर्चस्व का लाभ उठाया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधायक महोदय के राजनीतिक दबाव में आकर अपीलांटस को साक्ष्य प्रस्तुत करने का

जिला कलेक्टर, बून्दी

समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। इस कारण अपीलांटस अपनी समुचित प्रतिरक्षा नहीं कर सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अप्रार्थीगण को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य, गवाहान इत्यादि प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिये जाने से अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध है जो निरस्तनीय है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में 1995 आरआरडी पेज 515 एवं 1996 आरआरडी पेज 84 की नजीरें पेश करते हुये अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 23.06.2025 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पोडेंट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 46 रकबा 2.43 हैक्टैयर ग्राम महुआ के खातेदार की जाति बैरवा है, जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। वादग्रस्त आराजी पर खातेदार का कब्जा काश्त रहा है लेकिन विगत 3–4 वर्षो से अपीलांटस जो अनसूचित जनजाति के व्यक्ति है के द्वारा अवैध रूप से जबरन ताकत के बल पर रेस्पोडेंट के खाते की भूमि पर अतिकमण एवं कब्जा कर लिया है जिससे वह कृषि कार्य करने से वंचित हो रहा है। इस कारण रेस्पोडेंट द्वारा तहसीलदार रायथल को धारा 183(बी) आर.टी. एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांटस को बेदखल किये जाने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई अनुसूचित जाति के खातेदार की कृषि भूमि पर गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का गैर कानूनी कब्जा पाया जाने से अतिकमियों को बेदखल कर कब्जा खातेदार को संभलाये जाने का आदेश दिनांक 23.06.2025 पारित किया गया, जो विधिसम्मत है। अपीलांटस ने अपील में अधीनस्थ न्यायालय पर रेस्पोडेंट के राजनीतिक दबाव में आकर आदेश पारित किये जाने का मिथ्या दोष लगाया है किन्तु इस संबंध में कोई साक्ष्य इस न्यायालय में पेश नहीं की गई। अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून के दायरे में पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से यथावत बहाल रखा जाकर अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे प्रकट हुआ कि जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 अनुसार ग्राम महुआ की कृषि भूमि खसरा सं. 46 रकबा 2.4300 हैक्टेयर के खातेदार चुन्नीलाल प्रेमी पुत्र पांचूलाल जाति बैरवा है। उक्त खातेदार द्वारा तहसीलदार रायथल के न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट पेश किया जाकर उसकी कृषि भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाकर प्रार्थी को पुनः कब्जा दिलाये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई उभयपक्ष प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुये आदेश दिनांक 23.06.2025 पारित किया गया।

जिला कलेक्टर बून्दी

अपील में अपीलांटस की प्रथम आपत्ति है कि उक्त भूमि पर अपीलांट का 50 वर्षो से पुराना कब्जा काश्त होने से बेदखली बाबत पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है, लेकिन इस संबंध में अपीलांटस द्वारा पत्रावली पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके अभाव में अपीलांटस का पुराना कब्जा प्रमाणित नहीं होता है। अपीलांटस की दूसरी आपत्ति है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. के राजनीतिक दबाव में आकर आदेश पारित किया गया। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि प्रार्थना पत्र दिनांक 19.12.2024 को दायर हुआ था, जिस पर सुनवाई हेतु 16 तारीख पेशियां नियत की जाकर न्यायिक प्रक्रिया की पालना करते हुये दिनांक 23.06.2025 को निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार से विधिक प्रावधानों को अनदेखा नहीं किया गया है। अपीलांटस की यह भी आपत्ति रही है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनको सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट द्वारा दिनांक 07.02.25 को स्वयं उपस्थित न्यायालय आकर जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा गया। तत्पश्चात अपीलांटस की ओर से दिनांक 10.03.2025 को जवाब कार्यवाही मय दस्तावेजात पेश किये गये। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई उभयपक्ष साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर बिना विधिक अधिकार के अतिक्रमी की धारा 183 (बी) आर.टी. एक्ट के तहत बेदखली की कार्यवाही हेतु आदेश पारित किया गया, जो विधिसम्मत है।

यहां उल्लेखनीय है कि धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की भूमि पर अतिक्रमियों के विरूद्ध त्वरित व प्रभावी कार्यवाही करने के लिए संक्षिप्त कार्यवाही है। यदि अपीलांटस वादग्रस्त आराजी पर अपना पुराना कब्जा मानते है तब भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर अन्य व्यक्ति को कभी विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है, अतिक्रमी को कभी भी बेदखल किया जा सकता है, जैसा कि आर.आर.डी. 1998 पेज 396 में भी प्रतिपादित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान की समुचित सुनवाई की जाकर दिनांक 23.06.2025 को आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत है, इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 03.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी